

//निविदा-सूचना //


क्रमांक-358/निर्वा0/स्टोर/नामा0/2015-16

जगदलपुर दिनांक 7/09/2015

विशय :- फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के लेजर मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण बाबत !

—000—

जिले के अन्तर्गत समाहित 729 मतदान केन्द्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के लेजर प्रिंट निकालने हेतु निविदा प्रपत्र में दर्शित भार्ताधीन दिनांक 21/09/2015 के अपरान्ह 3:00 बजे तक बंद लिफाफे में दर आमंत्रित किया जाता है। निविदा उसी दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। विस्तृत निविदा प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय जगदलपुर में दिनांक 18/09/2015 को अपरान्ह 1:00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में रूपये 500/- (पाँच सौ रूपये) मात्र नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा मूल प्रपत्र में ही स्वीकार किये जावेंगे।


(अमित कटारिया)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बस्तर

पू. क्रमांक-359/निर्वा0/स्टोर/नामा0/2015-16
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर दिनांक 7/9/2015


1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनायल, रायपुर को राज्य स्तरीय प्रसारित दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बस्तर (छ.ग.) को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जगदलपुर को एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बस्तर

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के मुद्रण हेतु निविदा कार्यक्रम

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	निविदा जारी होने का दिनांक	7 सितम्बर 2015
2	निविदा क्रमांक	358
3	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	18 सितम्बर 2015 अपरान्ह 3 बजे तक
4	निविदा प्रपत्र की कीमत	रूपये 500/-
5	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21 सितम्बर 2015 अपरान्ह 3 बजे तक
6	निविदा खोलने की तिथि	21 सितम्बर 2015 अपरान्ह 4 बजे
7	निविदा प्रपत्र में कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या	04 पृष्ठ (कार्यक्रम पृष्ठ के अतिरिक्त)


कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बस्तर

//संक्षिप्त निविदा //

क्रमांक-360/निर्वा0/स्टोर/नामा0/2015-16



जगदलपुर दिनांक 7/9/2015

—000—

जिले के अन्तर्गत समाहित 729 मतदान केन्द्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के लेजर प्रिंट निकालने हेतु अधोदर्शित शर्ताधीन दिनांक 21/09/2015 के अपरान्ह 3:00 बजे तक बंद लिफाफे में दर आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 21/09/2015 को अपरान्ह 4:00 बजे समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का टिन नंबर होना अनिवार्य है। छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. फर्म का पूर्व में मतदाता सूची मुद्रण कार्य का अनुभव होना चाहिए जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदाकार द्वारा फर्म के नाम से वर्ष 2014-15 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. कार्य की समय-सीमा को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा मुख्यालय के बाहर के फर्म का दर अनुमोदन होने पर प्रशासनिक सुविधा एवं नियंत्रण की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर सेटअप स्थापित करने हेतु संबंधी लिखित में सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ रुपये 10,000/- का प्रतिभूति राशि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बस्तर के नाम से एफ.डी.आर. जमा करना होगा।
6. फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का लगभग 2.00 लाख पृष्ठों का मुद्रण किये जाने की संभावना है।
7. मुद्रण का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण किया जाना होगा।
8. मतदाता सूची के लेजर प्रिंटिंग कार्य 400 डी.पी.आई. में कम से कम 80 जी.एस.एम. पेपर में दोनो तरफ किया जावेगा।
9. निविदा में संलग्न प्रपत्र में ही दर प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ कण्डिका-10 में उल्लेखित अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. निविदाकार द्वारा निम्न अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है किसी भी एक अभिलेख की कमी की स्थिति में निविदा अमान्य कर दिया जावेगा।
1. फर्म के टिन नम्बर की छायाप्रति।
 2. गत वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
 3. अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 4. फर्म का मुद्रण कार्य हेतु पंजीयन की छायाप्रति।
 5. प्रपत्र-A में कार्य क्षमता विवरण।
 6. प्रपत्र-B में दर।
 7. मुख्यालय के बाहर का फर्म होने की स्थिति में स्थानीय सेटअप स्थापना हेतु सहमति पत्र।
11. सफल निविदाकार का अनुमोदित दर आदेश के एक वर्ष तक मान्य होगा।
12. सफल निविदाकार को प्रति विधानसभा की दर से प्रति विधानसभा 5000/- का प्रतिभूति राशि करारनामों के साथ जमा किया जाना होगा। निविदा राशि रूपये 10000/- का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जा सकेगा।
13. विशेष परिस्थिति में एक माह का नोटिस के उपरान्त निविदाकार का करारनामा रद्द किया जा सकता है।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बस्तर का निर्णय अंतिम होगा।


कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला बस्तर

प्रपत्र-ए

फर्म की क्षमता संबंधी जानकारी

1. फर्म का नाम :
2. फर्म का टिन नम्बर :
3. फर्म के मालिक का नाम :
4. उपलब्ध कम्प्यूटर सेट्स :
5. लेजर प्रिंटिंग हेतु उपलब्ध लेजर
प्रिंटर की संख्या :
6. फर्म के द्वारा प्रतिदिन प्रिंटिंग क्षमता :
7. फर्म का पूर्व में निर्वाचन संबंधी :

मुद्रण अनुभव

फर्म के मालिक का हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र-बी

मुद्रण दर

स.क्रं.	विवरण	छर
1	मुद्रण दर प्रति पन्ना अर्थात् कागज के दोनों तरफ (कागज सहित) रूपये प्रति पन्ना शब्दों में रूपये

(प्रस्तुत दर में ओव्हर राईटिंग होने पर दर अमान्य किया जावेगा)

टीप: फर्म द्वारा प्रति पन्ना न्यूनतम दर प्रस्तुत करने पर ही दर अनुमोदित किया जावेगा। किसी मतदान केन्द्र के अंतिम पन्ने के केवल एक ही तरफ अर्थात् एक ही पृष्ठ पर मुद्रण की स्थिति में अनुमोदित दर का आधा भुगतान किया जावेगा।

फर्म के मालिक का हस्ताक्षर
एवं मुहर